सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
चैत्र 03, शुक्रवार, शाके 1945-मार्च 24, 2023 *Chaitra 03, Friday , Saka 1945- March 24, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 28, 2023

संख्या प.7(697)एसएचए/पीपीपी/2021-22/डी- 2425 :-यतः राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि खेड़ली-नदबई-कुम्हेर एस.एच. 44 सड़क परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण व्यक्तियों का गैर स्वैच्छिक विस्थापन होने की संभावना है।

अतः अब भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा खेड़ली-नदबई-कुम्हेर एस.एच. 44 सड़क परियोजना के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी कुम्हेर जिला भरतपुर को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रषासक के रूप में नियुक्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सा.नि.वि., जयपुर।

4796

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।